न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/297

1. नेमीचन्द पुत्र सुलतानाराम, जाति जाट निवासी ढाणी महला की तन ग्राम भौडकी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कमला पुत्री सुलतानाराम पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी ढाणी महला की तन ग्राम भौडकी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू, राजस्थान हाल निवासी मातवा की जोडी मुकाम पोस्ट बाय, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
2. श्याना पुत्री सुलतानाराम पत्नी रामकुवार, जाति जाट निवासी ढाणी महला की तन ग्राम भौडकी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुन राजस्थान हाल निवासी गुनयाणा जोहड के पास मुकाम पोस्ट बिरोय तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
3. संतोष पुत्री सुलतानाराम, जाति जाट पत्नी बजरंगलाल, निवासी ढाणी महला की तन ग्राम भौड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राजस्थान हाल निवासी बीड के पास मुकाम पोस्ट बिरोय तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

4. सोनाराम पुत्र सुलतानाराम, जाति जाट निवासी ढाणी महला की तन ग्राम भौड़की, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. रूकमणी पुत्री सुलतानाराम पत्नी श्रीराम, जाति जाट निवासी ढाणी महला की तन ग्राम भौडकी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झनू हाल निवासी बीड के पास, मुकाम पोस्ट बिरोल, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
6. ग्राम पंचायत भौडकी पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

––प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री हरलाल सिंह, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री पी.एल. शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से**
2. **श्री राजाराम चौधरी एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 07.06.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौजूदा अपीलान्ट को व अन्य रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये तथा नोटिस तामील होने के पश्चात् जरिये अधिवक्ता

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी. पी.सी. बाबत प्रारम्भिक आपत्ति का प्रस्तुत किया तथा कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा आदेश नियम 3 (क) सी.पी.सी. के तहत विलम्ब को माफ कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है, नामान्तरकरण संख्या 44 दिनांक 15.04.1988 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जिसकी मियाद 30 दिन नियत है लेकिन अपीलान्ट द्वारा 32 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई है तथा आदेश–41 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत परिसीमा के बाबत अपील में सर्वप्रथम सुनवायी किया जाना बाध्यकारी प्रावधान है इसलिये मौजूदा अपील आदेश–41 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत परिसीमा अवधि के बाहर होने से प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नही है। अतः अपील खारिज फरमायी जावें किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 बाबत प्रारम्भिक आपत्ति का अलग से निस्तारण नही कर अपील के साथ ही निस्तारित करते हुये मियाद के बिन्दु को गौण मानते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 44 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि सुलतानाराम के विधिक वारिसों की जॉच कर नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही करें जो निर्णय न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर भी ध्यान नही दिया कि उनके समक्ष जो 32 वर्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गयी थी उसके साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र बाबत विलम्ब माफ करवाने हेतु प्रस्तुत ही नही किया गया था ऐसी स्थिति में मियाद अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कोई भी अपील, दावा, निगरानी अथवा रिट याचिका मियाद बाहर प्रस्तुत की जाती है तथा उनके संलग्न देरी माफ करने का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया जाता तो न्यायालय के पास ऐसी अपील पोषणीय नही होती है तथा वह प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य होती है लेकिन मौजूदा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त विधिक स्थिति एवं न्यायिक प्रावधनों को नजरअंदाज करते हुऐ अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.09.2021 पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 अपने ससुराल में निवास करती है तथा अपीलान्ट के पिता सुलतानाराम ने उनकी शादी के समय काफी स्त्रीधन देकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को विदा किया था तथा नामान्तरकरण संख्या 44 को तस्दीक करने में उनकी पूर्ण सहमति थी इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने यह भी स्वीकार किया है कि उनकी माता चानणी देवी के देहान्त के पश्चात् विरासत का नामान्तरकरण उनके नाम तस्दीक किया जा चुका है जिससे स्पष्ट है कि उन्हे नामान्तरकरण संख्या 44 की प्रारम्भ से ही उन्हे जानकारी है लेकिन

P.T.O.

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कभी भी उक्त नामान्तरकण संख्या 44 दिनांक 15.04.1988 के विरूद्ध कभी कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की इसलिये भी उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.09.2021 निरस्तनीय हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का कभी कोई कब्जा नही रहा है तथा ना ही आज वर्तमान में है इसलिये कब्जे के अभाव में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई नामान्तरकरण तस्दीक नही किया जा सकता। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी स्थिति पर भी ध्यान नही दिया कि किसी भी नामान्तरकरण की प्रक्रिया में पक्षकारों के अधिकार तय नही किये जा सकते यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 वादग्रस्त भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा क्लेम करती है तो वो केवल नियमित वाद में ही उनके अधिकार तय हो सकते थे इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2021 निरस्तनीय है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.09.2021 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 44 दिनांक 14.08.1988 को बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है राजस्व ग्राम भौडकी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू स्थित भूमि खसरा नम्बर 3167 लगायत 3169, 3286, 3292, 3545/3291 कुल किता 6 कुल रकबा 4.6500 हैक्टयर तथा ग्राम गोदारों का बास की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1257, 1297 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3100 हैक्टयर अवस्थित है, उक्त भूमि में से 1/2 हिस्से की खातेदारी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पिता शैतान उर्फ सुलतानाराम कब्जा काश्त था, अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता के दोहान्त होने के बाद उक्त भूमि पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स का अपने–अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है। उन्होने आगे कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार सुलतानाराम के 4 पुत्री संतान व दो पुत्र संतान सोनाराम व नेमीचन्द हुए थे यह सभी सुलतानाराम के वैद्य उत्तराधिकारी है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्री भी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। ऐसी स्थिति में खातेदार की मृत्यु होने पर आराजी का नामान्तरकरण खातेदार के सभी वारिसान के नाम स्वीकार किया जाना कानूनन आवश्यक था किन्तु पटवारी हल्का ने विरासत का नामान्तरकरण केवल खातेदार के पुत्र अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व खातेदार की पत्नी के नाम ही दर्ज व स्वीकार किया गया और पुत्री संतानों का नाम नामान्तरकरण में छोड़ दिया गया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय ही था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 14.09.2020 को हल्का पटवारी से जमाबन्दी व नामान्तरकरण की नकल लेने

P.T.O.

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

पर हुई जिसके विरूद्ध उनके द्वारा जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर मियाद के सम्बन्ध में एतराज किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2021 विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 वादग्रस्त आराजी के खातेदार सुलतानाराम के वारिसान है तथा पटवारी हल्का द्वारा मृतक खातेदार के केवल पुत्र सन्तान व पत्नी को ही वारिस बताते हुए नामान्तरकरण संख्या 44 भरा गया जो सरपंच ग्राम पंचायत भौडकी द्वारा दिनांक 15.04.998 को स्वीकार किया गया है जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा लगभग 32 वर्ष पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है और विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी पेश नही किया गया है किन्तु अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना उज्रात प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस पश्चात् गुणावगुण पर निस्तारण करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे यह नही माना जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हो तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के खातेदार सुलतानाराम उर्फ शैतान के विधिक वारिसान की जॉच कर नामान्तरकरण तस्दीक की कार्यवाही का अपीलाधीन आदेश पारित किये गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2021 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।